प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकःपरिषद–9/ 153 दिनांक 17 मई, 2017

विषयः कक्षा 9 एवं 11 में अग्रिम पंजीकरण कराये जाने हेतु प्रधानाचार्यों द्वारा प्राप्त किये गये शुल्क रू0–30/– को राजकीय कोषागार में जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

ज्ञातव्य है कि शासनादेश सख्या–403/15–7–2016 दिनांक 12 अप्रैल 2016 द्वारा शैक्षिक सत्र–2016–17 हेतु कक्षा 9 एवं 11 में लिये जाने वाले अग्रिम पंजीकरण शुल्क को रू0–20/– के स्थान पर रू0–50/– करते हुये यह व्यवस्था दी गई थी कि इसमें से 10 रूपये विद्यालय के खाते में 20 रूपये राजकीय कोष में एवं 20 रूपये सचिव,मा0शि0प0 के खाते में जमा किये जायेगे।

उक्त के सम्बन्ध में शासन ने अपने पत्र संख्या–130/15–7–2017 दिनांक 11 मई 2017 द्वारा यह निर्देश प्रदान किये गये है कि सचिव,मा0शि0प0 के नाम से खाता खोला जाना शासकीय नियमों के अन्तर्गत सम्भव न हो पाने के कारण प्रधानाचार्यों द्वारा अग्रिम पंजीकरण के रूप में प्राप्त की गई धनराशि रू0–30/–(रू0–20/–सचिव,मा0शि0प0 के खाते हेतु एवं रू0–10 विद्यालय के खाते हेतु) तत्काल राजकीय कोष में जमा करा दी जाय।

शासन द्वारा प्रदान किये गये उक्त आदेशों के क्रम में कृपया अपने जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय गैर सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रधानों को निर्देशित कर दे कि उनके द्वारा प्राप्त की गई रू0–30 की धनराशि प्रत्येक दशा में राजकीय कोषागार में दिनांक 27 मई 2017 तक निश्चित रूप से जमा करा दी जाय।जमा की गई धनराशि के कोष पत्र की स्कैन प्रति संस्था के प्रधान द्वारा परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। कोष पत्र की एक प्रति सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जायेगी एवं एक प्रति जिला विद्यालय निरीक्षक अपने पास सुरक्षित रखेगें। उक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

श्रीमती(शैल यादव)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याःपरिषद–9/ 153 (1-6) दिनांक 17 मई 2017

उक्त की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– संयुक्त सचिव,शिक्षा–7 अनुभाग,उ0प्र0शासन,लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,मा0शि0प0,उ0प्र0,लखनऊ।
3– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक/उप शिक्षा निदेशक,उ0प्र0।
4– अपर सचिव,मा0शि0प0,क्षे0का0,मेरठ/बरेली/वाराणसी/इलाहाबाद।
5– प्रदेश के समस्त जनपदों के मान्यता प्राप्त संस्थाओं के प्रधान।
6– उप सचिव(सिस्टम सेल) मा0शि0प0मुख्यालय को उक्त पत्र की प्रति परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कराने हेतु।

श्रीमती(शैल यादव)
सचिव।

17/5/17